

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग—३, नरेगा)



क्रमांक एफ ४(९) ग्रावि / नरेगा / हेल्पलाईन / २००८—०९

जयपुर, दिनांक

१७ OCT 2011

कार्यक्रम अधिकारी कम विकास अधिकारी,
पंचायत समिति,
समस्त राजस्थान।

विषय: नरेगा योजनान्तर्गत कॉल सेन्टर की प्रारम्भिक तैयार बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि महात्मा गांधी नरेगा योजना, राजस्थान से सम्बन्धित काल सेन्टर दिनांक १९.१०.२०११ से अनौपचारिक रूप से विभागीय अधिकारी/कर्मचारियों के प्रशिक्षण के उद्देश्य से चालू किया जा रहा है। इस काल सेन्टर का टोल फ़ी नम्बर १८०० १८० ६६०६ है। इस काल सेन्टर के माध्यम से प्राप्त शिकायतों के निवारण के साथ-साथ योजना के सम्बन्ध में राज्य मुख्यालय, जिला, पंचायत समिति तथा ग्राम पंचायत स्तर से सम्पादित होने वाले कार्यों की मोनीटरींग भी की जावेगी। इस काल सेन्टर से आपके कार्यालय के सी.यू.जी. मोबाइल धारक अधिकारियों/कर्मचारियों को पंचायत समिति क्षेत्र से सम्बन्धित जानकारी हेतु फोन/एसएमएस किये जायेंगे जिनके जवाब शीघ्र जरिये एस एम एस अथवा फोन के द्वारा देने होंगे। अतः सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारियों को निम्न निर्देशों से तत्काल अवगत करावें :—

१. सभी अधिकारी/कर्मचारी अपने सी.यू.जी. मोबाइल हमेशा चालू रखेंगे एवं स्वीच ऑफ नहीं करेंगे।
२. यदि किसी अधिकारी/कर्मचारी ने अपने सी.यू.जी. मोबाइल पर डू नोट डिस्टर्ब (DND) सुविधा ले रखी है तो उसे तत्काल डीएकटीवेट करवाया जावे।
३. सभी विकास अधिकारी सी.यू.जी. मोबाइल धारक कार्मिकों को आवश्यक प्रशिक्षण देंगे एवं इसकी महत्ता समझायेंगे। सम्बन्धित कार्मिकों को काल सेन्टर से आये एस एम एस अथवा काल के सम्बन्ध में सही-सही जवाब आवश्यक रूप से देना है।

कृपया इन निर्देशों की पालना शीघ्र कराया जाना सुनिश्चित करावें। प्र० अटि-

- अ० ब२८८ क० ६१

भवदीय,

मनोज बनौरी

(तन्मय कुमार)

आयुक्त एवं शासन सचिव, ईजीएस

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं :—

१. जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, समस्त राजस्थान को भेजकर लेख है कि जिला स्तर के सी.यू.जी. मोबाइल धारकों को भी उक्त निर्देशों से अवगत करावें।
२. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक (प्रथम/द्वितीय) एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त राजस्थान को पालनार्थ।

मनोज बनौरी
अतिरिक्त आयुक्त (प्रथम), ईजीएस